न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2022

बउनवान

जानकीदेवी उम्र 49 वर्ष पत्नि श्री सत्यनारायण जाति तम्बोली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.) (अपीलांट)

बनाम

1. श्रीमति पुष्पादेवी उम्र 60 वर्ष पत्नि श्री हंसराज जाति तम्बोली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 2356 दिनांक 29.06.2018 ग्राम मांगरोल
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— 1. श्री कमलदीप सिंह हाडा एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय दिनांक 16.09.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट कम 1 के साथ खातेदारी बाबूलाल, लाडबाई, गुलाबबाई के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नंबर 3386 रकबा 1.27 है. वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल का हिस्सा 1/4 का 7/8 अर्थात् सम्पूर्ण खसरे का 7/32 हिस्सा जर्ये रजिस्र्टड विकय–पत्र दिनांक 10.07.2017 संयुक्त रूप से खरीद किया था। हल्का पटवारी मांगरोल द्वारा बिना रजिस्टर्ड विकय पत्र का अवलोकन किये सम्पूर्ण 7/32 हिस्सा का नामान्तरकरण संख्या 2356 रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम से अंकन किया तथा रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा बिना जांच किये दिनांक 29.06.2018 को उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो निरस्तनीय है। उक्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा संयुक्त खरीद की थी किन्तु त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण के आधार पर खरीदशुदा सम्पूर्ण हिस्सा 7/32 रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम दर्ज हो गयी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 2356 दिनांक 29.06.2018 ग्राम मांगरोल निरस्त फरमाया जाकर बाद जांच पुनः रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स कम 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रही।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निश्चय किया।

दौराने एक पक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 3386 रकबा 1.27 है. का 7/32

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:50 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट कम 1 ने संयुक्त रूप से जर्ये रजिस्टर्ड बेचाननामा क्रय किया था परन्तु उक्त इंतकाल मात्र रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में दर्ज कर तस्दीक किया गया है, जबकि दोनों केताओं के नाम दर्ज होना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 2356 दिनांक 29.06.2018 ग्राम मांगरोल निरस्त फरमाया जाकर बाद जांच पुनः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने एक पक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 3386 रकबा 1.27 है. के 7/32 हिस्से का बेचान खातेदारान बाबूलाल पुत्र मांग्या जाति गूजर, लाड बाई पत्नि श्यामबिहारी जाति गूजर एवं गुलाब बाई पत्नि मांग्या जाति गूजर निवासीगण मांगरोल द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट कम 1 को संयुक्त रूप से किया गया जबकि नामान्तरकरण संख्या 2356 दिनांक 29.06.2018 ग्राम मांगरोल रेस्पोडेन्ट कम 1 के हक में खोला जाकर तस्दीक किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल का नामान्तरकरण संख्या 2356 दिनांक 29.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जांच कर पुनः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:50 IST
Reason: SelfAttested